अध्याय 8

पदच्युति, पृथक्करण तथा निलम्बन

52. जो सरकारी कर्मचारी सेवा से पदच्युत या पृथक कर दिया जाये उसके वेतन और भत्ते ऐसी पदच्युति या पृथक्करण की तिथि से बन्द हो जाते हैं।

53. (1) कोई सरकारी सेवक जो नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बनाधीन हो या निलम्बनाधीन किया समझा जाये, निम्नलिखित भुगतान पाने का हकदार होगा अर्थात् :—

(क) जीवन निर्वाह भत्ता जो ऐसे छुट्टी के वेतन की धनराशि के बराबर होगा जो सरकारी सेवक को प्राप्त होता यदि वह अर्द्ध वेतन पर छुट्टी पर होता, और इसके अतिरिक्त, ऐसी छुट्टी के वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता ; यदि अनुमन्य हो:—

परन्तु यदि निलंबन की अवधि तीस मास से अधिक हो जाये तो वह प्राधिकारी जिसने निलंबन का आदेश दिया हो या जिसके बारे में यह समझा जाये कि उसने निलम्बन का आदेश दिया है, प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात् की किसी अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि में निम्नलिखित परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा:—

(एक) जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की वृद्धि, जो प्रथम तीन मास की अवधि में अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की जा सकेगी जब उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे और उनके लिए सरकारी सेवक का सीधे दायित्व न हो, बढ़ जाये,

(दो) जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि में यथोचित धनराशि की कमी, जो प्रथम तीन की अवधि में अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी, उस दशा में की जा सकेगी जब उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि उन कारणों से जा अभिलिखित किये जायेंगे और जिनके लिये सरकारी सेवक का सीधे दायित्व हो, बढ़ जाये;

(तीन) महँगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उप-खन्ड (एक) और (दो) के अधीन अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई हुई या घटाई हुई धनराशि पर आधारित होगी।

(ख) उस वेतन के आधार पर, जो सरकारी सेवक को निलम्बन से दिनांक को मिल रहा हो, समय-समय पर अनुमन्य कोई अन्य प्रतिकर भत्ता:

परन्तु सरकारी सेवक प्रतिकर भत्तों का तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी की यह समाधान न हो जाये कि सरकारी सेवक वह व्यय कर रहा है जिसके लिये प्रतिकर भत्ते मंजूर किये गये हों।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि सरकारी सेवक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्त या व्यवसाय में नहीं लगा है:

परन्तु सेवा से पदच्युत या हटाया गया कोई सरकारी सेवक जो ऐसी पदच्युत से तथा हटाए जाने के दिनांक से निलम्बिनाधीन रखा गया या बना रहा समझा जाये और जो किसी अवधि या अवधियों के लिए जिसमें यह निलम्बनाधीन रखा गया था। बना रहा समझा जाये ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे तो वह अपनी धनराशि के बराबर जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा जितना कि यथास्थिति ऐसी अवधि या अवधियों के दौरान उसके उपार्जन की धनराशि उस जीवन निवाह भत्ते और उन अन्य भत्तों की धनराशि से जो उसे अन्यथा अनुमन्य होते, कम हो जहाँ उसे अनुमन्य जीवन निर्वाह तथा अन्य भत्ते उस धनराशि के जिसे वह उपार्जित करे, बराबर या उसके कम हो वहां इस परन्तुक का कोई बात उस पर लागू नहीं होगा।

नियम 53 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

1—निलम्बित करने वाला प्राधिकारी निलंबित किये गए किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति कर सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि निलंबन की अवधि 6 माह से अधिक न हो।

यहां 'प्रतिस्थानी' का अर्थ फलस्वरूप, हुई रिक्ति में अथवा व्यवस्थाक्रम के अन्त में नियुक्त किए गए "प्रतिस्थानी" से है।

2—शासन के विभाग 6 माह से अधिक समय के लिये निलम्बित किये गए किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति करने के लिये प्राधिकृत है।

3—राजस्व परिषद् प्रत्येक तीसरे माह शासन को सूचना देते हुए 6 माह से अधिक समय के लिये निलम्बित किए किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर प्रतिस्थानी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है।

4—डिवीजनों के आयुक्त प्रत्येक तीसरे माह राजस्व परिषद् को सूचना देते हुए 6 माह से अधिक समय के लिये निलम्बित किये गये किसी सरकारी कर्मचारी के स्थान पर प्रतिस्थानी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है।

टिप्पणी :—1. ऐसी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी इस स्वीकृति के सम्बन्ध में महालेखाकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेगा।

स्पष्टीकरण :—1. "अतिरिक्त व्यय" का तात्पर्य उस सरकारी कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अधिक धनराशि तथा स्थानापन्न व्यक्ति के पद के ऊपर के वेतन से है जो निलम्बित हो।

2—निर्वाह भत्ते की धनराशि, विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर जैसे यदि निलम्बन की अवधि ऐसे कारणों से अत्यधिक बढ़ गई हो जिनके लिये सरकारी कर्मचारी स्वयं किसी प्रकार उत्तरदायी न हो; साधारणतया सरकारी कर्मचारी के वेतन के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिये।

54. (1) जब कोई सरकारी सेवक, जिसे पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया अथवा अनिवार्यत: सेवा निवृत्त कर दिया गया हो, अपील या पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप पुन: पदस्थ किया जाये अथवा इस प्रकार पुन: पदस्थ किया गया होता यदि वह निलम्बनाधीन रहते हुये या न रहते हुये अधिवर्षिता पर सेवा निवृत न होता, तो पुन: पदस्थ किये जाने का आदेश देने वाला समक्ष प्राधिकारी:—

(क) सरकारी सेवक का कार्य से अनुपस्थिति रहने को अवधि के लिये, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति उसके पदच्युत किये जाने, हटाये जाने अथवा, अनिवार्यत: सेवानिवृत्ति किये जाने क पूर्व की निलम्बन अवधि भी है, उसे दिये जाने वाले वेतन और भत्तों; और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गयी अवधि मानी जाये या नहीं, के सम्बन्ध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश देगा।

(2) यदि पुन: पदस्थ किये जाने का आदेश देने वाले समक्ष प्राधिकारी को यह राय हो कि ऐसा सरकारी सेवक, जिसे पदच्युत किया गया, हटाया गया अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया, पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया गया है, तो सरकारी सेवक को उप नियम (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिये वह हकदार होता, यदि वह पदच्युत न किया गया, हटाया न गया अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न किया गया होता या, यथास्थिति, ऐसी पदच्युति, हठाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता:

परन्तु जहाँ यदि ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाहियों को समाप्ति में प्रत्यक्षत: सरकारी सेवक के कारण विलम्ब हुआ है वहाँ वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देने के पश्चात् और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्देश दे सकता है कि सरकार सेवक को उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी विलम्ब अवधि के लिये ऐसे वेतन तथा भत्ते की उतनी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जितनी वह अवधारित करे।

Scanned with CamScanner

(3) उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में, कार्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के पूर्व की निलम्बन अवधि भी है, सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गई अवधि मानी जायेगी।

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

[1][(4)—उपनियम (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में भिन्न मामलों में [जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिनमें सेवा से पदच्युतकिये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने का आदेश, अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा केवल संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) या खण्ड (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन न किये जाने के कारण ही अपास्त कर दिया जाता है और कोई अग्रेतर जाँच करने का प्रस्ताव नहीं होता] सरकारी सेवक को, उप नियम (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन तथा भत्ते की राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जिसके लिए वह हकदार होता, यदि वह पदच्युत न किया गया, हटाया न गया या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न किया गया होता या, यथास्थिति, इस प्रकार पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता, जैसा सक्षम प्राधिकारी सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की सूचना देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा ऐसी अवधि के भीतर (जो कि किसी भी दशा में नोटिस दिये जाने के दिनांक से साठ दिन से अधिक नहीं होगी) जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, राशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अवधारित करें।

(5) उपनियम (4) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, कार्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसके पदच्युत किये जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये जाने के पूर्व की निलम्बन अवधि भी है, को तब तक कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गई अवधि नहीं माना जायेगा जब तक कि समक्ष अधिकारी विशिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि इसे किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये ऐसा माना जाये:

परन्तु यदि सरकारी सेवक यह चाहे तो ऐसा प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि कार्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसके पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये जाने के पूर्व की निलम्बन अवधि भी है, को सरकारी सेवक को देय और अनुमन्य किसी प्रकार की छुट्टी में बदल दिया जाये।

टिप्पणी:—पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन समक्ष प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा, और

(क) अस्थाई सरकारी सेवक की स्थिति में, तीन मास से अधिक की असाधारण छुट्टी, और

(ख) स्थाई सरकारी सेवक की स्थिति में पांच वर्ष से अधिक किसी प्रकार की छुट्टी, स्वीकृत किये जाने के लिये किसी उच्च स्वीकृति की आवश्यकता न होगी।

(6) उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अनतर्गत ऐसे भत्ते अनुमन्य हों।

(7) उपनियम (2) के परन्तुक या उपनियम (4) के अधीन अवधारित राशि नियम 53 के अधीन अनुमन्य निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्तों से कम न होगी।

(8) किसी सरकारी सेवक को, उसके पुन: पदस्थ होने पर, इस नियम के अधीन किये जाने वाले भुगतान की राशि को, उसके, यथास्थिति, हटाए जाने, पदच्युत किए जाने अथवा अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किए जाने के दिनांक और पुन: पदस्थ किए जाने के दिनांक के बीच की अवधि में सेवा योजन से अर्जित राशि के प्रति समायोजित किया जायेगा। यदि इन नियम के अधीन अनुमन्य परिलब्धियां अन्यत्र सेवा योजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर हों अथवा उससे कम हो तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जायेगा।

1. शा० सं० जी-2-186/ दस-534 (18)-83, दिनांक 19-2-86, प्रथम संशोधन नियमावली, 1986 से प्रतिस्थापित एवं असाधारण गजट, भाग- 4, खण्ड (ख) दिनांक 19-2-86 में प्रकाशित के दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

टिप्पणी

जहाँ सरकारी सेवक पदच्युत किये जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये जाने के पश्चात् पुन: पदस्थ किए जाने का आदेश जारी किए जाने के उपरांत युक्तियुक्त समय के भीतर, कार्य पर उपस्थित नहीं होता, वहां उसे ऐसी अवधि के लिए, जब तक कि वह वस्तुत: कार्यभार न सम्भाल ले, कोई भी वेतन तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

[1]**54-क** (एक) जहाँ किसी सरकारी सेवक का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया जाना न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया जाये कि संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) या खण्ड (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, और जहाँ उसे गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त न किया जाये और कोई अग्रेतर जाँच किये जाने का प्रस्ताव न हो, वहाँ सरकारी सेवक को नियम 54 के उपनियम (7) के अधीन रहते हुए, वेतन और भत्ते की ऐसी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह पदच्युत न किया गया होता, हटाया न गया होता या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न किया गया होता या, यथास्थिति, इस प्रकार पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता जैसा समक्ष प्राधिकारी सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की सूचना देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा ऐसी अवधि के भीतर (जो कि किसी दशा में नोटिस दिये जाने के दिनांक से साठ दिन से अधिक नहीं होगी) जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, राशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अवधारित करें।

(2) पदच्युत किए जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये जाने के पूर्व की निलम्बन की अवधि सहित, यथाधिति, पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किए जाने के दिनांक और न्यायालय के निर्णय के दिनांक के बीच की अवधि नियम 54 के उप-नियम (5) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(3) यदि सरकारी सेवक का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना अथवा अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किया जाना न्यायालय द्वारा गुणवगुण के आधार पर अपास्त कर दिया जाये तो पदच्युत किए जाने हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवा-निवृत्त किये जाने के पूर्व की निलम्बन अवधि सहित यथास्थिति, पदच्युत किए जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के दिनांक और पुन: पदस्थ किये जाने के दिनाँक के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्यार्थ माना जायेगा और उसे उस अवधि के लिये पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिये वह हकदार होता यदि वह पदच्युत न किया गया होता, हटाया न गया होता अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त न किया गया होता या, यथास्थिति, इस प्रकार पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किए जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमन्य हो।

(5) सरकारी सेवक को उसके पुन: पदस्थ होने पर, इस नियम के अधीन किए जाने वाले भुगतान की कोई राशि उसके द्वारा पदच्युत किये जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जाने के दिनांक और पुन: पदस्थ किए जाने के बीच की अवधि में सेवायोजन से अर्जित राशि के प्रति समायोजित की जायेगी। यदि इस नियम के अधीन अनुमन्य परिलब्धियां अन्यत्र सेवायोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर हों, अथवा उसके कम हों तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी

जहाँ सरकारी सेवक पदच्युत किए जाने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किए जाने के पश्चात् पुन: सदस्य किये जाने का आदेश जारी किये जाने के उपरान्त युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य पर उपस्थित नहीं होता, वहाँ उसे ऐसी अवधि के लिये जब तक कि वह वस्तुत: कार्यभार न सम्भाल ले, कोई भी वेतन तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

1. शा० सं० जी-2-186/ दस-534 (18)-83, दिनांक 19-2-86, प्रथम संशोधन नियमावली, 1986 से प्रतिस्थापित एवं असाधारण गजट, भाग- 4, खण्ड (ख) दिनांक 19-2-86 में प्रकाशित के दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

Scanned with CamScanner

54-ख. (1) जब कोई सरकारी सेवक, जिसे निलंम्बित किया गया हो, पुनः पदस्थ किया जाये अथवा इस प्रकार पुनः पदस्थ किया गया होता, किन्तु निलम्बनाधीन रहते हुये अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो जाये तो पुनः पदस्थ करने का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी:—

(क) सरकारी सेवक को, यथास्थित, पुनः पदस्थ किये जाने अथवा उसकी अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त के दिनांक के पूर्व की निलम्बन अवधि के लिए दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों; और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गई अवधि मानी जाये या नहीं, के सम्बन्ध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश देगा।

(2) नियम 53 में किसी बात के होते हुये भी जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक की, उसके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक अथवा न्यायालय कार्यवाहियाँ समाप्त होने के पूर्व मृत्यु हो जाये, वहाँ निलम्बन के दिनांक और मृत्यु के दिनांक के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कार्यावधि समझा जायेगा और उसके कुटुम्ब को उक्त अवधि के लिये पहले से दिये गये निर्वाह भत्ता समायोजित करते हुये, पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिये वह हकदार होता यदि वह निलम्बित न किया गया होता।

(3) जहाँ पुनः पदस्थ करने का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं था वहाँ सरकारी सेवक को उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिये वह हकदार होता, यदि वह निलम्बित न किया गया होता।

परन्तु जहाँ ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाहियों की समाप्ति में प्रत्यक्षतः सरकारी सेवक के कारण विलम्ब हुआ है, वहाँ वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देने के पश्चात् और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि सरकारी सेवक को ऐसी विलम्ब अवधि के लिए केवल ऐसे वेतन और भत्ते की उतनी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जितनी वह अवधारित करे।

(4) उपनियम (3) के अन्तर्गत आने वाले मामले में निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गई अवधि माना जायेगा।

(5) उपनियम (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को उपनियम (8) और (9) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे वेतन और भत्ते को उतनी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जितनी के लिये वह हकदार होता, यदि वह निलम्बित न किया गया होता, जैसा सक्षम प्राधिकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की सूचना देने के पश्चात् और उसके द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये राशि के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अवधारित करे।

(6) जहाँ अनुशासनिक अथवा न्यायालय कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व निलम्बन विखण्डित कर दिया जाये वहाँ सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियाँ पूरी होने के पूर्व उपनियम (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर, कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् उपनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन किया जायेगा जो, यथास्थिति, उपनियम (3) या उपनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार आदेश देगा।

(7) उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, निलम्बन की अवधि को कर्त्तव्यार्थ व्यतीत की गई अवधि नहीं माना जायेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि इसे किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए माना जाये:

परन्तु यदि सरकारी सेवक चाहे तो ऐसा प्राधिकारी यह आदेश दे सकता है कि निम्लबन की अवधि को, सरकारी सेवक को देय और अनुमन्य किसी प्रकार की छुट्टी में बदल दिया जाये।

टिप्पणी—पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा, और

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की स्थिति में तीन मास से अधिक की असाधारण छुट्टी और

(ख) स्थायी सरकारी सेवक की स्थिति में पांच वर्ष से अधिक किसी प्रकार की छुट्टी; स्वीकृत किये जाने के लिए किसी उच्च स्वीकृति की आवश्यकता न होगी।

(8) उपनियम (2), उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमन्य हों।

(9) उपनियम (3) के परन्तुक या उपनियम (5) के अधीन अवधारित राशि नियम 53 के अधीन अनुमन्य निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्तों से कम न होगा :

(10) सरकारी सेवक को उसके पुनः पदस्थ होने पर इस नियम के अधीन किए जाने वाले भुगतान की राशि को उसके द्वारा निलम्बन के दिनांक और पुनः पदस्थ किए जाने या निलम्बनाधीन रहते हुये अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो जाने के दिनांक के बीच की अवधि में सेवायोजन से अर्जित राशि, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमन्य उपलब्धियाँ अन्यत्र सेवायोजन अर्जित राशि के बराबर हो या उससे कम हो तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी—जहाँ सरकारी सेवक निलम्बन के पश्चात् पुनः पदस्थ किए जाने का आदेश जारी किये जाने के उपरान्त युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य पर उपस्थित नहीं होता वहाँ उसे ऐसी अवधि के लिए, जब तक कि वह वस्तुतः कार्यभार न सम्भाल ले, कोई भी वेतन तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

नियम 54 के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश

1—इस नियम में पुनरीक्षण या अपीलीय प्राधिकारी को यह अनुमति है कि निलम्बन में व्यतीत अवधि को अवकाश की अवधि मान ले।

2—जिन मामले में सरकारी कर्मचारी को मूल प्राधिकारी ने दण्ड दिया हो परन्तु अपील करने पर उनके आदेश को उलट दिया गया हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिये:—

(क) यदि अपीलीय प्राधिकारी यह पाता है कि मूल आदेश पूर्णतया गलत था तो अपीलकर्त्ता को मूल आदेश की तिथि से पुनः स्थानापन्न कर देना चाहिये और उसको अपने परिलब्धियों के पूरे या किसी भाग से मूल आदेश की तिथि और अपील के निर्णय की तिथि को अन्तर्वधि से वंचित नहीं करना चाहिये क्योंकि यह एक मान्य सिद्धान्त है कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी भूल के कारण हानि नहीं उठायेगा जो स्वयं उसने न की हो। यदि उसी अवधि में किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी ने पदोन्नति पाई हो तो उसके द्वारा लिये गये अतिरिक्त वेतन की वसूली की मांग को शासन की स्वीकृति से बट्टे खाते में डाल देना चाहिये। पुनरीक्षण या अपीलीय प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में 500 रु० तक के अतिरिक्त व्यय को बट्टे खाते में डाल सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्थानापन्न व्यक्ति की सेवा की अवधि 6 मास से अधिक न हो।

(ख) यदि अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्त्ता को दोषी पाता है, परन्तु उसके विरूद्ध दिये गये आदेश को अत्यधिक कठोर समझता है तो यदि वह चाहे तो वह उसकी अपील पर दिये गये आदेश की तिथि से उसी स्थिति पर लाने का आदेश दे सकता है। ऐसे मामले में किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रश्नगत अवधि में लिये गये अतिरिक्त वेतन की वसूली की माँग नहीं की जायेगी।

3—उपर्युक्त प्रक्रिया उन मामलों में लागू नहीं होती जिसमें पदोन्नति के किसी मामूली आदेश को अतिक्रमित सरकारी कर्मचारी के अपील के फलस्वरूप उलट दिया गया हो। अपील करने पर किसी को दिये गये दन्ड के रद्द करने के आदेश और मामूली पदोन्नति के आदेश उलटने में एक महत्वपूर्ण अन्तर है, पहले मामले में दन्डित कर्मचारी उस पद पर पहले रह चुका है जिस पर वह अपील के फलस्वरूप पुनःस्थापित किया जाता है और निलम्बन या पदच्युति की अवधि को ड्यूटी माना जाता है। बाद वाले मामले में पदोन्नति के आदेश के उलटे जाने के फलस्वरूप जिस सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति मिलती है, वह उस पद पर पहले कभी भी नहीं रह चुका है। अतएव वह उस पद से सम्बद्ध वेतन उसी तिथि से पायेगा जिस तिथि से वह उस पद का कार्य भार ग्रहण करे। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकारी के आदेश उसी तिथि से लागू हो सकते हैं जिस

Scanned with CamScanner

तिथि को वे दिये जायें। गलती से पदोन्नत किये गये कर्मचारी के द्वारा प्राप्त उच्च पद के वेतन की वसूली करने या वसूली को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न की नहीं उठेगा।

4—उपर्युक्त पैरा 3 में दिये गये आदेश उसी संवर्ग में की गई श्रेणी की उन पदोन्नतियों के मामलों में लागू नहीं किये जा सकते जो पूर्वगामी प्रभाव से रिक्तियों की तिथि से ही दिये जाते हैं जब कि सरकारी कर्मचारियों के पद तथा कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होते। ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी जब अपील करने वाले कर्मचारी को पर्याप्त कारणों से अपने आदेश की तिथि के बजाये रिक्ति की तिथि से ही श्रेणी में पदोन्नति देता है और यदि पदोन्नति में भिन्न तथा अधिक उत्तरदायित्व की ड्यूटी नहीं संभलनी पड़ती, तो पहले पदोन्नति किये गये कर्मचारी ने जो अतिरिक्त वेतन पाया हो वह उससे वसूल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी वसूली को शासन की स्वीकृति से बट्टे खाते डाल देना चाहिये।

55. निलम्बित सरकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जा सकेगा।

टिप्पणी—संविधान के आर्टिकिल 311 के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से उसको अवगत नहीं करा दिया जाता है और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता (ए० आई० आर० 1958 सुप्रीम कोर्ट 300)।

जिस तिथि से कर्मचारी कार्य मुक्त करके पदच्युत किया जाता है उसी तिथि से वह पदच्युत माना जाता है पिछली तिथि से नहीं। ए० आई० आर० 1954 कलकत्ता 340; ए० आई० आर० 1950 मध्य प्रदेश 44; ए० आई० आर० 1957 उड़ीसा 51 ।

दुर्व्यवहार के आधार पर सरकार पदच्युत कर सकती है। ए० आई० आर० 1958 मध्य प्रदेश 44; ए० आई० आर० 1961 कलकत्ता 225; ए० आई० आर० 1959 सुप्रीम कोर्ट 1342।

जब अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाये गये आरोप इस प्रकार है कि उनसे उसका सेवा से पदच्युत किया जाना न्याय संगत होगा तो उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपील न्यायालय के रूप में कार्य करें और अधिकारी के मत के स्थान पर स्वयं अपना मत प्रतिष्ठित करें। साधारणतया जब एक बार अनुशासनिक मामला समाप्त हो गया हो और कर्मचारी अनुमानत: पूर्णरूपेण दोष मुक्त होकर बहाल कर दिया गया हो उन्हीं अभिकथनों के आधार पर कोई दूसरी अनुशासनिक जांच तब तक आरम्भ नहीं की जा सकती जब तक कि किसी कार्यवाही को फिर से आरम्भ करने के लिए उपबन्ध करने वाला विशिष्ट नियम न हो।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226, उसके अधीन हस्तक्षेप—यदि सेवा समाप्ति में कोई विधिक कमजोरी न हो तो उसमें अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यू० पी० एल० बी० सी० 1981, 226।

सरकार को कर्मचारी के विरुद्ध जाँच करने का अधिकार

सरकार को जांच करने का पूर्ण अधिकार है उसको यह भी अधिकार है कि मामला न्यायालय को भेज दें इसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। ए० आई० आर० 1952 उच्चतम न्यायालय 329; ए० आई० आर० 1957 उच्चतम न्यायालय 330; ए० आई० आर० 1956 मद्रास 460; ए0आई0आर० 1958 सुप्रीम कोर्ट 107।

किसी विधान के अभाव में कार्यपालिका को आदेश जारी करके इन मामलों को विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। साधारण ऐसे आदेश संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जाने के बावजूद न्यायी नहीं होते क्योंकि वे नितान्त प्रशासनिक आदेश होते हैं, लेकिन ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि यदि प्रशासनिक नियमों अथवा आदेशों के आधार पर की गई किसी कार्यवाही से किसी मूल अधिकार का अतिलंघन होता है तो भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार उपलब्ध नहीं है। (*वासदेव भूपाल* बनाम *मैसूर राज्य* ए० आई० आर० 1966 मैसूर 92/94)।

यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि यदि किसी लोक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि उसका कोई आदेश कपट द्वारा प्राप्त किया गया है जो यह अपनी परिनियत शक्तियों का प्रयोग करते हुये उस आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये सक्षम होगा। क्योंकि ऐसा आदेश अकृतता होता है। और ऐसा होने का कारण सम्बद्ध प्राधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और कोई नया आदेश पारित कर सकता है लेकिन किसी ऐसे मामले में जहां कि ऐसा आदेश कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है वहाँ परिनियम अधिकरी के अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार तब तक नहीं होता जब तक कि अधिनियम अथवा नियमों में निमित्त कोई उपबन्ध न हो। (*राजेन्द्र त्रिपाठी* बनाम *शिक्षा उपनिदेशक गोरखपुर सिविल मिसेलेनियस* रिट सं० 6674 सन् 1175)।

प्रशासनिक तथा न्यायिक कृत्य... दोनों में विभेद... यह निश्चित करने के लिये कसौटी कि आया कोई कृत्य प्रशासनिक है अथवा न्यायिक है।

न्यायिक कृत्य का प्रशासनिक से विभेद करने की एक कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि आया कृत्य के करने का परिणाम कोई ऐसा बाध्यकारी आदेश है जो पक्षकारों के बीच निश्चायक हो। यदि ऐसा हो तो ऐसे आदेश को न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक माना जायेगा। न्यायालय की एक अत्यन्त स्पष्ट विशेषता यह है कि वह दो या अधिक पक्षकारों के बीच आपस में अधिकारों को प्रभावित करने वाले पदों का अवधारण करना भी सम्मिलित हो तो उसके परिणाम स्वरूप किये जाने वाले आदेश के बारे में यह समझा जायेगा कि अर्ध न्यायिक आदेश है। ए० आई० आर० 1950 सुप्रीम कोर्ट 222, ए० आई० आर०, 1962 आई० सी० 1110, ए० आई० आर० 1970 सुप्रीम कोर्ट 1896।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी को सेवा समाप्त करने से पहले उसकी सुनवाई का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये।

(ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 806 ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 1715 ए० आई० आर० 1958 एस० सी० 137 ए० आई० आर० 1857 एस० सी० 397 ए० आई० आर० 1956 एस० सी० 285)

सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें अथवा न्यायालय के सुपुर्द कर दें। (ए० आई० आर० 1952 एस० सी० 329)

किसी विधान के अभाव में कार्य पालिका को कार्यालय आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

प्रशासनिक नियमों अथवा आदेशों के आधार पर की गई किसी कार्यवाही से किसी मूल अधिकार का/अतिलघंन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार उपलब्ध है। (*वासदेव भूपाल* बनाम *मैसूर राज्य* ए० आई० आर० 1966 मैसूर 1941)।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 केवल राज्य अथवा लोक प्राधिकारी के ही विरुद्ध नहीं है बल्कि प्राधिकारियों के ही विरुद्ध है जो कि परिनियत कर्तव्यों के प्रयोग करने की वांछा करता है और जिसको परिनियत शक्तियां प्राप्त हैं भले ही वह कोई लोक प्राधिकारी न हो या किसी शासकीय निकाय में न हो। किसी परिनियत निकाय का परिनियम द्वारा सृजित कोई निकाय होना जरूरी नहीं है, किन्तु वह ऐसा निकाय हो जो कि किसी ऐसे परिनियम के अधीन आज्ञापक परिनियत दायित्व हो और पदाधिकारी का लोक पदधारी जरूरी नहीं है, किन्तु वह परिनियम के अधीन परिनियम कर्तव्यों का पालन करने वाला पदाधारी भी हो सकता है। अत: इस प्रकार के मामलों में रिट अधिकारिता का प्रयोग किसी निजी निकाय के खिलाफ सेवा सम्बन्धी मामले में भी किया जा सकता है। जहाँ कि सम्बन्ध पूर्णतया केवल मौलिक एवं सेवक का न हो किन्तु परिनियत द्वारा शस्त्रि होता हो तथा लोक नियोजन से मिलता जुलता हो (*वासदेव विनायक* बनाम *बरजारजी पेस्टनजी*। (ए० आई० आर० 1972 उच्चतम न्यायालय 1450)

व्यक्तिगत सेवा को संविदा पद आधारित वाद तब तक चलने योग्य नहीं होता जब तक कि विमोचन अथवा उन्मोचन का आदेश अकृतता न हो अथवा जब तक कि किसी परिनियत उपबन्ध का अतिलंघन न हुआ हो।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया जा चुका है कि विधि न्यायालय यह उद्घोषणा कर सकते हैं कि उन्मोचन का आदेश आविधिमान्य था, तथा विधि की दृष्टि में सम्बन्ध व्यक्ति सेवा में बना रहा।

Scanned with CamScanner